



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267748
CG-DL-E-18112025-267748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5048]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 5048]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

का.आ. 5218(अ).—(ई) केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	श्री एम.रघुनन्दन राव, आईएएस एपीसी एवं सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, तेलंगाना सरकार	कर्नाटकर सरकार की अनुशंसा पर अधिनियम की धारा 4(3)(झ) के तहत नामित

[फा. सं. 25011/02/2025-सिल्लक]

पदमिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2025

S.O. 5218(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Shri M. Raghunandan Rao, IAS APC & Secretary to Government, Agriculture & Cooperation Department, Government of Telangana	Nominated on the recommendation of Govt. of Telangana under Section 4(3) (i) of the Act.

[F. No. 25011/02/2025-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.